FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

लत 500 मुकाम डूंगला

उदयलाल बनाम पुरवा

कदमा प्रा०पत्र नं. 75/25 सन्

ीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/25	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रह्लाद सिंह शक्तावत ने विरूद्व विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०का०अधि० का प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जावे । पत्रावली देख तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक. 25/9/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी डूंगला	
5/25	पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री...............आये उपस्थित...............स्थगन/किया जाय अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 6/11/25 को पेश हो।	
15/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये [illegible] अन्तर्गत धारा 212 आर. [illegible] इस प्रकार से है। प्रार्थी श्री उदयलाल पिता मांगीलाल [illegible] उम्र वयस्क निवासी पदमपुरा की ओर से उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	→ P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह शक्तावत द्वारा
विपक्षी श्री प्रथा पिता खेमा आहीर उम्र वयस्क
निवासी पदमपुरा व श्री हेमराज पिता खेमा आहीर
निवासी पदमपुरा तहसील डूंगला के विरुद्ध प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए का प्रस्तुत
कर निवेदन किया गया कि मौजा पदमपुरा
पटवार मण्डल पालोद के खाता संख्या 31 में
वर्णित आराजी नम्बर 172 रकबा 0.8840 है० में से
1/3 हिस्सा नारायण पिता खेमा आहीर निवासी
पदमपुरा से प्रार्थी उदयलाल ने रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र से वर्ष 2016 में इनके 1/3 हिस्सा में से 54/210
हक हिस्सा (लगभग 18 विस्वा) भूमि को प्रार्थी ने
क्रय की गई जिस पर प्रार्थी का आधिपत्य होकर
प्रार्थी उपयोग - उपभोग कर रहा जो वादग्रस्त है।
प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि बैंक आफ बड़ौदा
शाखा डूंगला के रहन होने से प्रार्थी क्रेता के
नाम इंतकाल नहीं खुल सका फिर वर्ष 2018 में
में विक्रेता नारायण लाल पिता खेमा की मृत्यु
हो गई जो आशीर्वाद फौत हुये उनके कोई नायन्दा
पुत्र पुत्रियाँ नहीं थी। उसके बाद विपक्षी सं. 1
व 2 ने मिलकर बैंक आफ बड़ौदा शाखा डूंगला
में स्व. नारायणलाल के हक हिस्से की सम्पूर्ण
राशि जमाकरवाकर बैंक से अनापत्ति प्रमाण
पत्र प्राप्त कर [illegible]
की सम्पूर्ण आराजी को विरास[illegible] से
विपक्षी सं. 1 व 2 ने [illegible]
पर दिनांक 11 [illegible]
निर्मित करवाया [illegible] सं. 1 व 2
ने मिलकर दोनों बहनों का [illegible] हक हिस्सा
जरिये हक परित्याग के विपक्षी सं. 1 व 2 ने

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:56 IST
Reason: SelfAttested

अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला-9413403527

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपने नाम पर कब्जा लिया गया जिसके कारण।
स्व. नारायण की सम्पूर्ण आराजी में विपक्षी संख्या
1 व 2 का 1/2, 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हुआ
जबकि स्व. नारायण पिता खेमा ने अपने जीवनकाल
में प्रार्थी को जरिये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज
से आराजी संख्या 172 रकबा 0.2840 है भूमि में
54/210 हक हिस्सा (लगभग 18 विस्वा) हक हिस्सा
भूमि जो प्रार्थी को विक्रय की गई थी उसको
भी विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम पर
करवा लिया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा क्रय की
गई भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा
है तथा प्रार्थी ही इसका उपयोग उपभोग करता आ
रहा है। इसलिए स्व. नारायण के कोई विधिक
वारिसान नहीं होने से बहक प्रार्थी के पक्ष में
रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की पालना कराये जाने
हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित आराजी की
भूमि का प्रार्थी ने अपने नाम खातेदारी की
घोषणा हेतु वाद पत्र के साथ अस्थायी
निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र
पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वाद
जांच दर्ज कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन
नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के सम्मन
बाद तामील प्राप्त हुए जिसको शामिल पत्रावली
विपक्षी संख्या 1 व 2 को नियत सुनवाई को बार-
बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उपस्थित
नहीं हुए न ही इनकी ओर से किसी ने
उपस्थिति दी गई। अतः इनके विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है
वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना
गया वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया
गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर
172 मौजा पदमपुरा पटवार मण्डल पालोद है
खाता संख्या 33 में से प्रार्थी द्वारा क्रय की
गई है जिसका नामान्तरण प्रार्थी के नाम पर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं खुलने से प्रार्थी को खातेदारी की घोषणा हेतु वाद पेश किया गया वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। इसलिए प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी करने हेतु बहस में निवेदन किया गया है। इस पर पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया तत्पश्चात पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा पदमपुरा पटवार मण्डल पालोद के खाता सं. 33 में वर्णित आराजी नम्बर 172 रकबा 0.8840 है. भूमि में से स्व. नारायण पिता खेमा अहीर के हिस्सा 1/3 में से 54/210 हक हिस्सा की भूमि (18 बिस्वा) प्रार्थी द्वारा क्रय की गई है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य में होकर प्रार्थी इसका उपयोग कर रहा है। प्रार्थी का नामान्तरण क्रय भूमि का नहीं खुलने से विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर होने से प्रार्थी को बेदखल करने तथा अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे आधिपत्य स्वामित्व की भूमि से बेदखल नहीं करे इसके उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा नहीं करे मूल वाद के निस्तारण होने तक मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। [illegible] खुले न्यायालय में [illegible]
पत्रावली [illegible]
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner